



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(1)एपीओ/पदस्थापन/वि.अ./प्रशा.1/2011/1882 जयपुर, दिनांक:- 25.7.17.

-: आदेश :-

श्री रामचन्द्र मीणा, RRDS, हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति सरवाड जिला अजमेर का स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति कोलायत जिला बीकानेर में विकास अधिकारी के रिक्त पद पर किया जाता है।

श्री मीणा को निर्देशित किया जाता है कि वे विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.14 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(गिरीश पासशर)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त अजमेर/बीकानेर।
8. जिला कलेक्टर अजमेर/बीकानेर।
9. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर/बीकानेर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति कोलायत/सरवाड।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)